उनवान–मोती बनाम प्रकाशकंवर वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 107/2025

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

**राजस्व आवेदन– 107/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

| प्रार्थीगण | विप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. मोती पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | 1. प्रकाशकंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण निवासी गुजरवाड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालोर हाल निवासी पनोरिया, तहसील सेड़वा। 2. तहसीलदार सेड़वा |

वकील प्रार्थी :– श्री श्रीराम विश्नोई

## निर्णय

दिनांक:– 18/08/2025

प्रार्थी मोती पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकारी है एवं प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 922/638 रकबा 8–3690 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू अभिलेख निरीक्षक पनोरिया तहसील सेड़वा में आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थी की जोत व ढाणी पर आने जाने के लिए विप्रार्थीनी संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 934/931 रकबा 0–9874 हैक्टेयर में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एममात्र रास्ता है। प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु कदीम रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षों से करते आ रहे हैं तथा यह एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 922/638 रकबा 8–3690 हैक्टेयर से विप्रार्थीनी संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 934/931 तक रास्ता कटा हुआ है। काश्त के समय प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 922/638 तक के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है तथा झगड़ा होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वैकल्पिक रास्ता बरंग लाल रंग से दर्शाया है, जो विप्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि है जो जिससे आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सड़क मार्ग से प्रार्थी के अपने जोत तक जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थी को अपनी ढाणी आदि जाने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थी रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थी रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थी मोती पुत्र गोरधन का खातेदारी एवं कब्जाकाश्त खेत खसरा संख्या 922/638 रकबा 8–3690 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में जाने हेतु विप्रार्थीनी संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 934/931 रकबा 0–9834 हैक्टेयर में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/1194 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/730 दिनांक 28.07.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मोती पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी पनोरिया कौम जाट ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 922/638 रकबा 8–3690 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ग्राम पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू अभिलेख निरीक्षक पनोरिया तहसील सेड़वा तक आने जाने के लिए विप्रार्थीगण खातेदारान् प्रकाश कंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण सा. गुजरवाड़ा तहसील बागौड़ा के खातेदारी खेत मौजा पनोरिया के खसरा संख्या 934/931 रकबा 0–9874 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि आवागमन योग्य है। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उनवान–मोती बनाम प्रकाशकंवर वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 107/2025

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा हैक्ट. में | रास्ते की चौड़ाई फीट में | प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा | मौजा | रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | प्रकाश कंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण सा. गुजरवाड़ा तहसील बागौड़ा | 934/931 | 0–9874 | 20 फीट | 0–0840 हैक्टेयर | पनोरिया | 24360 /– | बा.सो |

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पनोरिया के खातेदारान् प्रकाश कंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण सा. गुजरवाड़ा तहसील बागौड़ा के खातेदारी खेत मौजा पनोरिया के खसरा संख्या 934/931 रकबा 0–9874 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से रकबा 0–0840 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। ग्राम पनोरिया के खसरा संख्या 934/931 की डीएलसी दर(सिंचित सड़क के पास) 2,90,000 रूपये प्रति हैक्टेयर है। संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है। प्रार्थी के खसरा संख्या 922/638 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 934/931 के बीच अवस्थित खसरा संख्या 944/655, 947/653, 834/374, 835/374 रास्ता प्रयोजनार्थ सरकारी हक में समर्पित भूमि है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उनवान—मोती बनाम प्रकाशकंवर वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 107/2025

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा हैक्ट. में | रास्ते की चौड़ाई फीट में | प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा | मौजा | रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | प्रकाश कंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण सा. गुजरवाड़ा तहसील बागोड़ा | 934/931 | 0—9874 | 20 फीट | 0—0840 हैक्टेयर | पनोरिया | 24360 /— | बा.सो |

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)—(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ.च/2025/730 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 03.07.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 मय फर्द दिनांक 03.07.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उनवान–मोती बनाम प्रकाशकंवर वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 107/2025

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीनी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

**उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 18/08/2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।**

**पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।**

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा जिला बाड़मेंर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 730 दिनांक– 28-07-2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सेडवा, जिला बाडमेंर।

विषयः– राजस्व आवेदन संख्या 107 / 2025 अनवान मोती बनाम प्रकाश कंवर वगैरह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 A में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 107 / 2025 अनवान मोती बनाम प्रकाश कंवर वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए के तहत ग्राम पनोरिया के खसरा नं. 934 / 931 में प्रस्तावित रास्ते दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू.अ.निरीक्षक पनोरिया द्वारा दिनांक 03.07.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार(भू.अ. सेडवा)

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन सं. 107/2025 अनदान मोती बनाम प्रकाश कंवर वगैरा मे

प्रथम दर्ज

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

## मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......बगाराम...... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......पनोरिया......, कार्यालय, तहसीलदार ......सेड़वा...... के आदेश कमांक /रा.अ./447 दिनांक 23/06/25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 03/07/25 समय ..........बजे आराजी खसरा नम्बर 934/931 वाके ग्राम पनोरिया पटवार मंडल ......पनोरिया...... पर श्री ........................ पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक /...SP-1... दिनांक 01/07/25..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दलाराम | पुत्र आईदानराम | 59 | जाट | प्रार्थी |
| 2. | चेनाराम | पुत्र तिलोकाराम | 40 | जाट | प्रार्थी |
| 3. | राजूराम | पुत्र तिलोकाराम | 35 | जाट | प्रार्थी |
| 4 | भगाराम | पुत्र तिलोकाराम | 37 | जाट | प्रार्थी |

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

| क्र.सं. | खातेदार का नाम पता | ग्राम | खसरा | रकबा | किस्म | प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि का रकबा | रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत | रास्ते की चौडाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रकाश कंवर पत्नी नरपतदान जाति-चारण सा० गुजरवाड़ा तह. बागोड़ा खातेदार | पनोरिया | 934/931 | 0.9874 हेक्ट. | बा. सो. | 0.0840 हेक्टर | 24360/- रु | 20 फीट |
| | | | 1 | | | 0.0840 हे. | 24360/- रु | |

संलग्न नक्शे मे प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ इत्यादि नहीं है प्रस्तावित रास्ता की भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते के अलावा [illegible] रास्ते का अभाव है ग्राम पनोरिया के खसरा सं. 934/931 की [illegible] सिंचित सड़क के पास ) 2,90,000/- रु. प्रति हेक्टर है [illegible] प्रार्थी के खसरा सं. 922/638 [illegible] अंग है। प्रस्तावित खसरा सं. 934/931 के बीच प्रभावित खसरा सं. 944/655, 947/653, [illegible]/374, 835/374 रास्ता प्रयोजनार्थ सरकारी हक मे समर्पित भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

03/7/25
ILR पनोरिया

प्रार्थी कार्य

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | जाति | हस्ताक्षर | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दलाराम | पुत्र श्रीदानराम | जाट | दलाराम | प्रार्थी |
| 2. | चेनाराम | पुत्र लिखमाराम | जाट | चेनाराम | " |
| 3 | राजूराम | पुत्र लिखमाराम | जाट | राजूराम | " |
| 4. | भगाराम | पुत्र लिखमाराम | जाट | भगाराम | " |

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | | | | |

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | पता/ मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | | | | |

इस प्रकार आज दिनांक 03/7/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

हस्ताक्षर 03/07/25
भू. अ. निरीक्षक
वृत.......पनोरिया

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (...) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 03/07/2025 10:21:08 AM

पटवारी हल्का : पनोरिया

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

ग्राम : पनोरिया

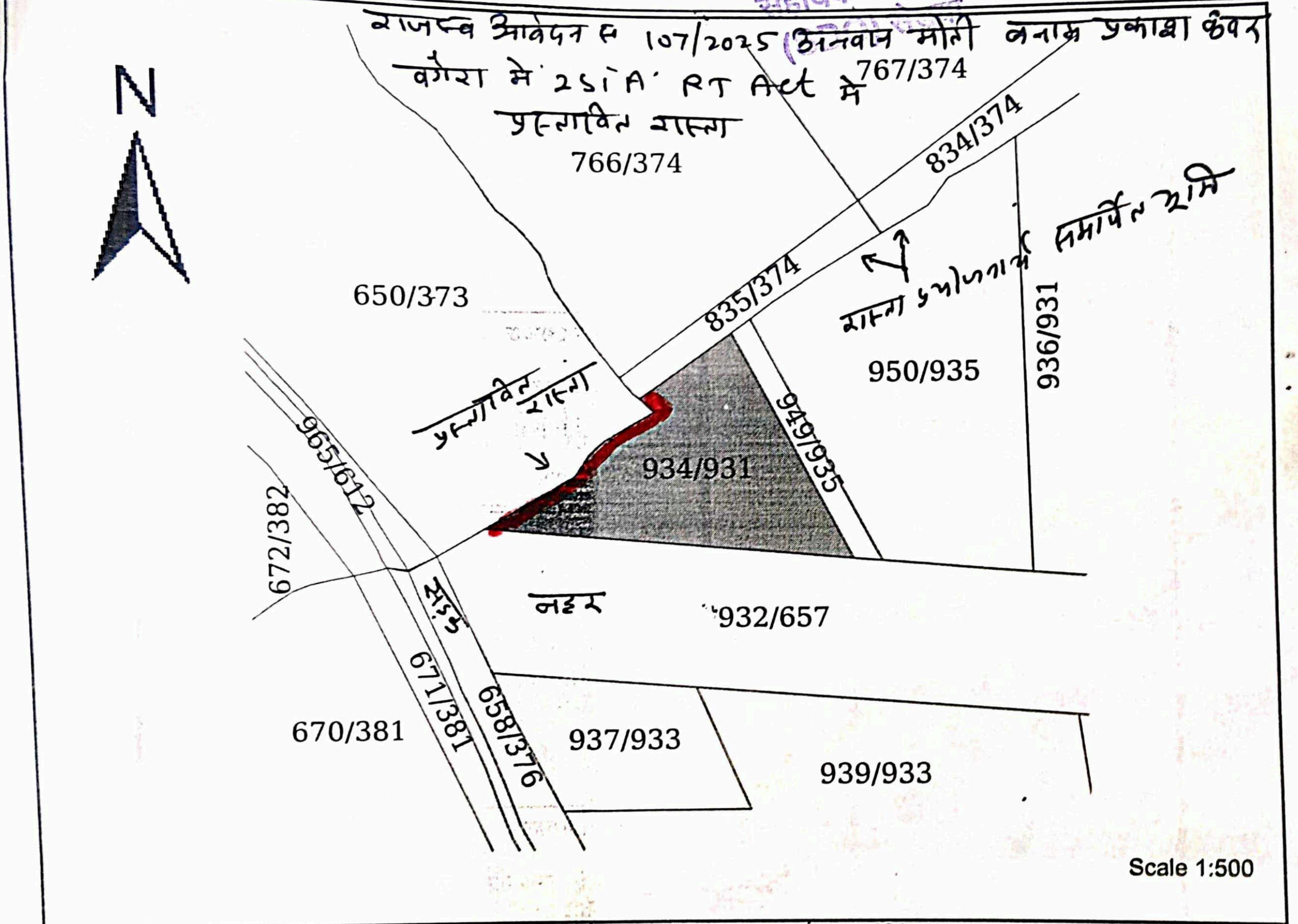


खसरा संख्या :934/931 क्षेत्रफल : 0.9874 Hectare खाता संख्या : 128पुराना खाता संख्या :191

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान ]: बा.सोयम [ 0.9874, 0.31 ]

1.) प्रकाशकंवर पत्नि नरपतदान हिस्सा- पूर्ण जाति- चारण सा गुजरवाडा तह बागोडा खातेदार

03/07/25

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:41:22 IST
Reason: SelfAttested